प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'तिरेपन' [24/2/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 1001]

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ति प्रक्रिया

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना राज्य शासन एवं केन्द्र शासन के सहयोग से ''एग्रीकल्चर इन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड'' (ए.आई.सी.) द्वारा राज्य में क्रियान्वित की जा रही है। योजना की इकाई 'तहसील/पटवारी हल्का' है। अतः ''व्यक्तिगत क्षति'' होने पर क्षतिपूर्ति देय नहीं होती है। फसल बीमा योजनान्तर्गत केवल खेतों में खड़ी फसल का ही बीमा किया जाता है, खलिहान में रखी फसल का बीमा आवरण नहीं किया जाता है। जिला शासन/राज्य शासन द्वारा अधिसूचित जिलों में घोषित ''अनावारी'' ''सूखा घोषणा'/बाढ़ घोषणा'' का फसल बीमा क्षतिपूर्ति से कोई संबंध नहीं होता है।

योजनानान्तर्गत फसल बीमा क्षतिपूर्ति हेतु ''तहसील/पटवारी हल्का'' को यूनिट माना गया है। राज्य शासन का राजस्व विभाग रबी/खरीफ मौसम में General Crop Estimation Survey (GCES) हेतू फसल कटाई प्रयोग रेण्डम पद्धति से जो एक तहसील में प्रत्येक अधिसूचित फसल हेतु कम से कम 16 आयोजित करता है और पटवारी हल्का में प्रत्येक अधिसूचित फसल हेतु कम से कम 4 आयोजित करता है, उसका औसत निकालते हैं, जो उस तहसील/हल्का की वास्तविक उपज कहलाती है। यदि संबंधित तहसील में राज्य शासन द्वारा प्रदाय वास्तविक औसत उपज आंकड़े, थ्रेशहोल्ड उपज से (गेहूं, धान फसल हेतु पिछले 3 एवं अन्य फसलों हेतु 5 वर्षों की औसत उपज गुणांक क्षतिपूर्ति स्तर 60/ 80 / 90 प्रतिशत क्षतिपूर्ति स्तर (जो कि मौसमवार, फसलवार, निश्चित होता है) से कम पाये जाते हैं तो उपज में कमी (Shortfall) के आधार पर क्षतिपूर्ति देय होती है। औसत उपज अधिक होने पर क्षतिपूर्ति देय नहीं होती है। वास्तविक औसत उपज थ्रेशहोल्ड उपज से अधिक होने पर क्षतिपूर्ति देय नही होती है।

राज्य शासन के राजस्व विभाग द्वारा खरीफ मौसम में औसत पैदावार के ऑकडे 31 जनवरी तक/ तुअर, कपास के ऑकडे 31 मई तक/केला 31 दिसंबर तक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को उपलब्ध कराये जाते है। इसी प्रकार रबी मौसम में औसत पैदावार के ऑकडे 31 जुलाई तक एवं प्याज फसल के ऑकडे 30 सितम्बर तक उपलब्ध कराये जाते है, तत्पश्चात दावों की गणना कर प्राधिकृत अधिकारी से क्षतिपूर्ति का अनुमोदन मिलने के बाद (खाद्य फसलें एवं तिलहन के लिए) प्राप्त 100% प्रीमियम राशि तक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी (ए.आई.सी.) एवं उससे अधिक दावा होने पर केन्द्र एवं राज्य शासन से उनके हिस्से की राशि समान रूप से, प्राप्त कर दावों का भुगतान किया जाता है। वार्षिक नगदी एवं वार्षिक बागवानी फसलों हेतु पूर्ण दावा राशि ए.आई.सी. द्वारा भुगतान किया जाता है। दावा फार्मूला निम्नानुसार हैः–

$$\text{दावा} = \frac{\text{उपज में कमी}}{\text{थ्रेशहोल्ड उपज}} \times \text{बीमित राशि}$$

उपज में कमी = थ्रेशहोल्ड उपज–वास्तविक औसत पैदावार

दावा प्रक्रिया एक स्वचालित प्रक्रिया है, अतः क्षतिपूर्ति हेतु कृषक को कोई औपचारिकता नहीं करनी पड़ती है। यदि तहसील/पटवारी हल्का की उपज में कमी पायी जाती है तो उस तहसील/पटवारी हल्का के उस फसल के समस्त बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाता है, क्षतिपूर्ति की राशि बैंक (जिस बैंक से कृषक ने बीमा कराया है) को भेज दी जाती है जो बैंक, कृषक के खाते में समायोजित करता है।

उप संचालक कृषि

अनुभाग अधिकारी
म० प्र० शासन

एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कं. ऑफ इंडिया लि. Agriculture Insurance Co. of India Ltd. BHOPAL

परिशिष्ट - 02

विधान सभा प्रश्न कमांक 1001 अतारांकित की जानकारी परिशिष्ट–2
विधान सभा क्षेत्र सिवनी अन्तर्गत बीमा आवरण की प्रगति

तहसील	बीमित कृषक	बीमित रकबा (हेक्ट.)	बीमित राशि रू0	प्रीमियम राशि रू0	क्षतिपूर्ति भुगतान राशि रू0	लाभान्वित कृषक
सिवनी	22081	58320	733868163	25044669	क्षतिपूर्ति प्रकियाधीन है ।	
छपारा	2891	6999	92340687	2724613		
योग विधान सभा क्षेत्र	24972	65319	826208850	27769282		

उप संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
म0प्र0भोपाल

अनुभाग अधिकारी
म० प्र० शासन
कृषि विभाग [शाखा - 2].